

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग


का०आ०सं०- न०वि० एवं आ०वि०/पटना,

दिनांक-

कार्यालय आदेश

विभाग के अंतर्गत कई योजनाओं यथा NULM, SBM, AMRUT, नमामि गंगे आदि के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी संस्था/एजेंसी के माध्यम से PMC/PMU/Consultant का गठन किया गया है। इन परामर्शी संस्थाओं में से कई कर्मी राज्य स्तर पर विभाग में भी कार्यरत हैं, जिनका मुख्य कार्य, नगर निकायों में क्षेत्र भ्रमण कर, कार्य का पर्यवेक्षण करते हुए ससमय कार्यान्वयन कराना है।


2. उक्त योजनाओं की मासिक/पाक्षिक तौर पर अधोहस्ताक्षरी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के स्तर पर समीक्षा बैठकें पूर्व से निर्धारित है। इन योजनाओं की निर्धारित समीक्षा बैठकों में योजना से संबंधित PMC/PMU के राज्यस्तरीय कर्मी भी उपस्थित रहेंगे। वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा भी निर्धारित बैठकों में संबंधित योजनाओं के PMC/PMU के राज्यस्तरीय कर्मी के साथ समीक्षा की जाएगी।
3. संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बैठक में संबंधित सभी राज्य स्तरीय PMC/PMU कर्मियों के प्रत्येक सप्ताह के क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम एवं Target निर्धारित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नगर निकाय का भ्रमण/अनुश्रवण करके निर्धारित Target की प्राप्ति की जा रही है या नहीं। यदि संबंधित PMC/PMU कर्मियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किया जा रहा है तो संबंधित परामर्शी संस्था/एजेंसी को देय भुगतये राशि में कटौती की जाएगी।


(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 4895/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 12/09/18

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी विभागीय अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/Team Leader, NULM/Team Leader, SBM/ Team Leader, AMRUT/Team Leader, SPMG/Team Leader, MIS Cell, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


11/9/2018
प्रधान सचिव